

पं.सं. ११ - कागज सं. १११

337778

दि. ५ - २०१८

विजय सिंह जि-

विजय सिंह पीडि नं-३

मन्मथ प्रेमल चौक

रु० १००००-००

मद...

रु० १००००-००

१००००-००

(१००००-००)

प्राप्त करनेवाला पदाधिकारी ।

१३-२-१८

मन्मथ प्रेमल चौक

Duplicate

(Original to be kept with nomination paper and duplicate to be handed over to candidate)

Check list of documents in connection with filing of nomination

Name of constituency 205 - Bhakra
 Name of the candidate R. K. Singh
 Date and time of filing nomination paper 19.2.2018 11:25
 Sl. No. of nomination paper 02

Sl. no.	Documents	Whether filed (Write Yes/No) {if there is any defect/shortcoming in the documents, the same should be specified}
1.	Affidavit in Form 26 - (a) Whether all columns filled up. (b) If not, which are blank column(s) (Please specify) (c) Whether the affidavit is sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of First Class or before a Notary Public.	Yes
2.	Additional Affidavit as required under Election Commission's Order No. 509/11/2004-JS.I Dated 03-02-2016 regarding public dues.	Yes
3.	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	Not applicable
4.	Form A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties)	Not applicable
5.	Copy of cast certificates (if the candidate claims to belong to SC/ST)	Not applicable.
6.	Security deposit (whether made)	Yes
7.	Oath and affirmation (whether taken)	

Contd

Following documents which have not been filed should be filed as indicated below :-

- (a) NIL should be filed latest by NIL
- (b) Above mentioned columns in the Affidavit in Form 26 have been left blank. You must submit a revised Affidavit with columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.
- (c) NIL should be filed latest by NIL

Received

विकास सिंह

(Signature of candidate)

19.2.18

(Signature of RO/ARO)

Date & time:

Place:

N.B.

1. The Affidavit in Form 26, Additional Affidavit and Form A & B have to be filed latest by 3.00 P.M. on the last date of filing nominations.
2. The nomination paper will be rejected if a candidate fails to file a revised affidavit filling the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
3. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
4. Certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
5. Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.

REGISTRATION FEE & PROHIBITION DEPT

Kaimur Score Bhabhua

COURT FEE

00000

Rs. 0000100

375289

INDIA



Affidavit to be submitted by candidates

Election to Legislative Assembly (Name of
 from 205 Bhabua Constituency.

Vikash Singh (name of candidate), son/daughter/wife of Vijay Singh
 aged 30 years, resident of Bhabua Ward No 3, Patel Chowk, P.O. & P.S. Bhabua Kaimur
 a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under:-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period
 of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at _____ (mention the
 address of the accommodation) during the period of last 10 years
 prior to the date of notification of the current election, and there are
 no arrears of any dues to be paid towards rent for the
 accommodation or any arrears to the agencies providing electricity,
 water and telephone at the said accommodation as on _____ (the
 date should be the last date of the 3rd month prior to the month in
 which the election is announced).

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached
 hereto.

VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the
 above statements are correct to the best of my knowledge, and no
 part of it is false.

Verified at Bhabua this the 19th day of February 2018

I identify the deponent who has
 Signed/RTI in my presence
Hoshila Tiwari

DEPONENT



प्ररूप 2ख

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

02/11:25 Am
19.2.18

19.2.18
APD

बिहार

पूरे चेहरे को सामने से	
उपदर्शित	हुए
श्वेत/श्वे	में
(2 3	में.मी)
स्टांप	का
नवीनतम फोटो चस्पा करें	

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से

अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/

पिता का नाम उसका डाक पता

..... उसका नाम विधान सभा निर्वाचन-

क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग स में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख प्रस्तापक के हस्ताक्षर

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 205 भुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/

प्रति का नाम उसका डाक पता भुआ वार्ड सं०-3

पटेल चौक, पोखरा-भुआ उसका नाम 205 भुआ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 112 में क्रम सं० 440 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे पास उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं०			
1	2	3	4	5

1.	109	105	✓ राशिद रैशन Rashid Ration	19-2-18
2.	93	39	✓ दुर्गा कुमार पटेल Durga Kumar Patel	19-2-18
3.	51	442	✓ शिवशंकर सिंह शिवशंकर सिंह	19-2-18
4.	129	466	✓ कौशर आलम Kaushar Alam	19-2-18
5.	147	369	✓ शिव परमान पासवान Shiv Parman Paswan	19-2-18
6.	51	450	✓ अश्वनी कुमार Ashwani Kumar	19-2-18
7.	144	800	✓ रवि कान्त पटेल रवि कान्त पटेल	19-2-18
8.	163	329	✓ भगत सिंह - भुगत सिंह	19-2-18
9.	163	723	✓ मुकेश पासवान Mukesh Paswan	19-2-18
10.	163	728	✓ सुरेश पासवान Suresh Paswan	19-2-18

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने... 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे(ग)(i)(ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो राजनैतिक अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ... बाण्टी

(ii) ... चारपाई (iii) ... हैं।

घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिंदी (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है।

(ड) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

• मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लागू नहीं होता • जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित • जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे बिहार राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19.02.2018

विकास सिंह
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

*यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

••उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हों।

कृपया ध्यान दें:--“मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा(1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धोष ठहराया गया है; या नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध(अपराधों) के लिए सिद्धोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर “हां” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा: नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याएं: शून्य

(ii) पुलिस थाना(थाने) शून्य (जिला)(जिले) शून्य (राज्य) शून्य

(iii) संबद्ध अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धोष ठहराया गया था शून्य

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) शून्य

- वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धांश ठहराया था... **शून्य**
- (vi) अधिरोपित दंड (कारावास) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें... **शून्य**
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)... **शून्य**
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे: हां/नहीं **शून्य**
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ... **शून्य**
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके(जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे... **शून्य**
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं... **शून्य**
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)... **शून्य**
 (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)... **शून्य**
- “(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ?..... **(हाँ/नहीं)**
 -यदि हां, धारित पद के ब्यौरे... **शून्य**
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?..... **(हाँ/नहीं)**
 -यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है... **शून्य**
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुपस्थिति के अधीन है ?..... **(हाँ/नहीं)**
 -यदि हां, ब्यौरे दीजिए... **शून्य**
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहिंत किया गया है?..... **(हाँ/नहीं)**
 -यदि हां, निरहिंत किए जाने की अवधि... **शून्य**
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अशक्त के लिए पदच्युत किया गया है?..... **(हाँ/नहीं)**
 -यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख... **शून्य**
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति है/सिगत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान सविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए सकार्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है?..... **(हाँ/नहीं)**
 -यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान सविदा(ओं) के ब्यौरे... **शून्य**

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकारी या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?.....(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....शून्य

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निर्धारित किया गया है?.....(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निर्धारण की तारीख.....शून्य

स्थान: भभुआ

तारीख 19.02.2018

विकास सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०.....02.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में.....19.2.18.....(तारीख) को.....11.2.18.....(बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्तावक.....विकास सिंह.....(नाम) द्वारा परित्त किया गया।

विकास सिंह

तारीख 19.2.18

19.2.18
AR
रिटर्निंग आफिसर

*लागू होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण)

प्ररूप 26

(नियम बक देखिये)

COURT FEE



00000

0000100

375288

20-200-200-200-200



70 19/2/18
Dependent Son/Son-in-law
identified by Sri...
contents of this affidavit are true
and correct to the best of my knowledge and belief

P.L. Singh

205 भभुआ विधान सभा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा

.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिट
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं विकास सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी विजय सिंह आयु 30 वर्ष
जो (डाक का पूरा पता लिखें) भभुआ वाड सं. 3, चेटेल मोह पोखरा, भभुआ
जिला-भेगुसरा, बिहार 821101 का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ
सन्तुष्टि से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

- (1) मैं स्वतंत्र ("राजनैतिक दल का नाम)
द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
("जो लागू न हो उसे काट दे")
- (2) मेरा नाम 205 भभुआ, बिहार निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)
मैं भाग सं. 112 के क्रम सं. 440 पर प्रविष्ट हूँ।
- (3) मेरा/मेरी 9430586411 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ हैं/हैं और Vikash Singh@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो)
है तथा (i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य मेरा/मेरी सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) हैं/हैं।

(4) मैं/हैं लेखा संख्याक (पैन) के ब्यॉर और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति



क्र.सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	DPYPS 0528 R	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित - 1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित - 2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित - 3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराध); का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

अभिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के ब्यौरे	पुलिस थाना/कोड सं-2/09, 164/05 264/08, 141/15, 217/15, 43/15, 421/11 520/15, 429/15, 184/17 एवं अजयपुर 138/15
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	147, 148, 149, 447, 448, 504, 506 353, 354(B) 307, 379, 386, 387 12(B) 275(A) 188, 392 9-PC 27 Arms Act and 177, 178 MVA Act
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	ACJM II, CJM, ADJ, DJ 6.6.12, 28.3.12, 8.4.11 29.6.10 27.6.12, 14.6.10
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	ADJ IV, FCC I, ADJ III SDJM, ACJM, DJ
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	6.12.12- 8.10.14. 29.3.12
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:- नहीं

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(3) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिराक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
-----	--	-------

(क)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हा, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कृत दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	हाथ में नकदी	2000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, अतिरिक्त जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	वचत खाते में 3256/- वचत खाते में 10000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 10000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सीमा 6027/- 180,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	Rs. 393256/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तरा वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	किसी भूमि की अवस्थिति (अवस्थिति) (सर्वेक्षण संख्या) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	प्लॉट संख्या 6, 7, 31 खेता 194, 65 (संख्याएं) 61, 53, 112 138, 89, 96, 117	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	खाना 121 खेसरा 228 220	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1740	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	पच्चीस लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक (अपार्टमेंट अवस्थिति) (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	भवन खाना 10 खेसरा 143	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	800	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	35 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	खाना 10 खेसरा 143	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	700	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)	700	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के व्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम स.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और इलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(अ) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी लागू नहीं होगा (अविकारित)

(9क) आग के (स्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी लागू नहीं होगा

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिए अनुसार है:-

मध्यमा उत्तीर्ण - संतर शिवानन्द संस्कृत प्राचार्य सह उच्च विद्यालय नौगढ़

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री) पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप को उल्लेख करते हुए उच्चतम

विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देने हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० विकास सिंह
----	-----------------	-----------------------------

डाक का पूरा नाम

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य

205 अनुसूची, बिहार

उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)

स्वतंत्र

5. (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।

10

(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर भेद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]

शून्य

6. ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]

शून्य

7.

...का स्थायी लेखा सं०

वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है

कुल दर्शित आय

(क) अभ्यर्थी

DPYPS0528R

शून्य

शून्य

(ख) पति या पत्नी

शून्य

शून्य

शून्य

(ग) आश्रित

शून्य

शून्य

शून्य

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)

विवरण

स्वयं

पति या पत्नी

आश्रित-1

आश्रित-2

आश्रित-3

क

जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) Rs- 393256/-

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

ख.

स्थावर आस्तियां

I.

स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

II.

क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सन्निमोण लागत (यदि लागू हो)

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

शून्य

..... की

III.

अनुमानित

	वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	एक करोड़ तीस लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : मध्यमा उत्तीर्ण, संत छिवाजी स्वतंत्रता संग्राम के पूर्ण प्रमाण का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता है कि इस शपथपत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिरया नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या संबंधित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख...19.02.2018 को सत्यापित किया गया।

I Identify the deponent who has
Signed/LTI/RTI in my presence

विक्रम सिंह
अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

P.S.B
19/2/18



शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं विकास सिंह जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए
अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं
विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की सम्प्रभुता
और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

विकास सिंह

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती विकास सिंह आज दिनांक 19.2.2018 माह
205 2018 को निर्वाची पदाधिकारी, 205-मधु विधान सभा आम निर्वाचन क्षेत्र
205 के कार्यालय प्रकोष्ठ में 12:30 pm बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ
ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

विकास सिंह

W
19.2.18

(प्राधिकृत व्यक्ती के हस्ताक्षर)
सहायक निर्वाची अधिकारी
205 - मधु विधानसभा
निर्वाचन क्षेत्र